**बिहार सरकार**
**कृषि विभाग**

पत्रांकः–3 / कृ०बजट विविध –20 / 2017 (खण्ड–क) 4881 कृ0 पटना दिनांकः– 14-12- 2017

प्रेषक,

**सुनिल कुमार सिंह, (भा०प्र०से०)**
कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

**कृषि निदेशक / निदेशक उद्यान / निदेशक भूमि संरक्षण / निदेशक बामेति / निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी / प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम, पटना।**

विषय– **बैंक खातों में संचित एंव अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में।**

प्रसंगः **विभागीय पत्रांकः–4729 दिनांक–30.11.2017।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभाग के पत्रांकः–अ०पा० 66 / 2011–1144 / वि० दि०–20.11.2017, पत्रांकः–एम०–4–07 / 2017–6071 / वि० दिनांक–30.08.2017 एवं मुख्य सचिव, बिहार का ज्ञापांकः–5819 दिनांक–19.08.2017 एवं पत्रांकः–एम०–4–07 / 2017 (खंड)–8978 / वि० दिनांक–17.11.2017 की छायाप्रति उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्न अनुरोध किया गया है :–

1. संधारित बैंक खातों की समीक्षा करते हुए, जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक–31.03.2018 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक–31.12.2017 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
2. बैंक खातों में संधारित छात्रवृति इत्यादि की राशि जिसका व्यय भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता है, को दिनांक–15.12.2017 तक राज्य के समेकित निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
3. जिन बैंक खातों में संचित राशि का स्त्रोत ज्ञात नहीं है तथा जिसके व्यय की संभावना नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में अनुलग्नक–1, 2 एवं 3 (प्रति संलग्न) के अनुसार ऐसी सम्पूर्ण राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

अतः पुनः अनुरोध है कि विभागीय पत्रांकः–4729 दि०–30.11.2017 का अनुपालन दि०–31.12.2017 तक सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

(सुनिल कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 4881 / कृ०, पटना, दिनांक 14-12- 2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना / आई॰ टी॰ मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

D:\year -2014\letter\letter 2017.docx